ग्यारहवीं योजना (2007–2012) के दौरान
कालेजों के लिए संकाय विकास कार्यक्रम की विशेष योजना
के संबंध में
दिशानिर्देश

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

बहादुर शाह जफर मार्ग

नई दिल्ली – 110 002

वेबसाइट : www.ugc.ac.in

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

ग्यारहवीं योजना (2007–2012) के दौरान
कालेजों के लिए संकाय विकास कार्यक्रम की विशेष योजना
के संबंध में दिशानिर्देश

(i) एम0फिल0/पी0एच0डी0 करने के लिए शिक्षकों को अध्येतावृत्ति देना

(ii) भारत में अकादमिक सम्मेलन (पीटीएसी) में शिक्षकों की भागीदारी

(iii) युवक संकाय सदस्यों का सुविख्यात संस्थानों में अल्पकालिक दौरा।

1. प्राक्कथन

कार्यक्रम का उद्देश्य संस्थानों में संकाय सदस्यों को अनुसंधान जारी रखने तथा संगोष्ठियों/सम्मेलनों/कार्यशालाओं में भाग लेने के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान कर अकादमिक और बौद्धिक वातावरण को बढ़ावा देना है। इस प्रकार के कार्यक्रमों में भाग लेने से संकाय सदस्य अपने अनुसंधान तथा शैक्षणिक कौशल को अद्यतन करने में सक्षम हो पायेंगे।

इस पृष्ठभूमि में आयोग ने ग्यारहवीं योजना के दौरान कार्यक्रम को जारी रखने का निर्णय लिया है।

2. उद्देश्य

1. विश्वविद्यालयों तथा कालेजों के शिक्षकों को अकादमिक/अनुसंधान गतिविधियों को जारी रखने का अवसर प्रदान करना जिससे उन्हें एम0फिल0/पी0एच0डी0, डिग्री प्राप्त हो सके।

2. शिक्षकों को अकादमिक सम्मेलनों/संगोष्ठियों में पत्र प्रस्तुत करने या कार्यशालाओं में भाग लेने तथा ज्ञान और विचारों के आदान–प्रदान करने का अवसर प्रदान करना।

3. युवक संकाय सदस्यों को उनकी पसंद के संस्थान पर अल्पकालीन अवधि व्यतीत करने के लिए बेहतर अकादमिक अनुभव प्रदान करना (जो दो सप्ताह तथा दो माह से कम न हो)।

2. अर्हता/लक्ष्य समूह

आयोग उन विश्वविद्यालयों तथा कालेजों के शिक्षकों को सहायता प्रदान करेगा जिन्हें वि0अ0आ0 अधिनियम, 1956 की धारा 2 (च) और 12 (ख) में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अनुरक्षित सूची में शामिल किया गया है।

शिक्षक अध्येतावृत्ति के लिए अर्हता की शर्तें:

3.1 शिक्षक अध्येतावृत्ति

3.1.1 शिक्षक स्थायी/नियमित होना चाहिए (अथवा सरकारी कालेजों के मामले में नियमित आधार पर नियुक्त होना चाहिए)

3.1.2 शिक्षक की आयु 45 वर्षों से अधिक नहीं होना चाहिए (आवेदन की तिथि पर अ0जा0/अ0ज0जा0/अ0पि0व0 (असम्पन्न वर्ग को छोड़कर) तथा महिला शिक्षकों को 5 वर्ष तक छूट)

3.13 शिक्षक के पास कम से कम 55 प्रतिशत अंकों के साथ द्वितीय श्रेणी की निष्णांत डिग्री होनी चाहिए (अ0जा0/अ0ज0जा0/अ0पि0व0(असम्पन्न वर्ग को छोड़कर) के लिए 50 प्रतिशत)। 19 सितम्बर 1991 से पूर्व नियुक्त/पैनल में शमिल किए शिक्षकों के पास निष्णांत या इसके समकक्ष ओ,ए,बी,सी,डी,ई और एफ अक्षर ग्रेडों के साथ सात बिन्दु ग्रेडिंग मान पर कम से कम 50 प्रतिशत अंक (अ0जा0/अ0ज0जा0/अ0पि0व0 (असम्पन्न वर्ग को छोड़कर) के मामले में 45 प्रतिशत अंक) होने चाहिए।

3.1.4 शिक्षक अध्येतावृत्ति दिए जाने हेतु आवेदन करने की तिथि पर शिक्षक का कम से कम 3 वर्ष का शैक्षणिक अनुभव होना चाहिए।

3.1.5 शिक्षक जिसने यूजीसी या किसी अन्य एजेंसी से पूर्व में कोई भी शिक्षक अध्येतावृत्ति प्राप्त नहीं की उसे प्राथमिकता दी जा सकती है। एम0फिल0 करने के लिए अध्येतावृत्ति प्राप्त कर चुके शिक्षक को पुनः एम0फिल0 करने के लिए अध्येतावृत्ति प्राप्त करने हेतु कम से कम तीन वर्ष का अंतर होना चाहिए (तथापि, यदि शिक्षक कार्य करते हुए पी0एच0डी0 करना चाहता है तो किसी अंतराल की आवश्यकता नहीं है)।

3.1.6 एक शिक्षक एम0फिल0 के लिए उस कालेज/विश्वविद्यालय/संस्थान में पंजीकरण करायेगा जहां संबंधित विषय में एम0फिल0 कार्यक्रम चलाया जाता है। शिक्षक जो पी0एच0डी0 पूरा करने के लिए शिक्षक अध्येतावृत्ति प्राप्त करने का इच्छुक है उसे पी0एच0डी0 के लिए पहले से ही पंजीकृत होना चाहिए तथा कार्य पूरा करना

चाहिए (उसे यह वचन भी देना चाहिए कि शोध कार्य को अध्येतावृत्ति की अवधि की समाप्ति से कम से कम छह माह पूर्व पूरा कर लिया जाएगा)।

3.1.7 एक शिक्षक फेलों को उस संस्थान में एम0फिल0 करने की अनुमति दी जा सकती है जिसमें वह नियोजित है बशर्ते कि विश्वविद्यालय/कालेज संबंधित विषय में एम0फिल0 पाठ्यक्रम चला रहा है। साथ ही, एक शिक्षक फेलों को उस संस्थान से अनुसंधान कार्य करने की अनुमति दी जाएगी जहां वह नियोजित है, बशर्ते कि संबंधित विषय में अनुसंधान कार्य करने के लिए उस संस्थान में पर्याप्त सुविधाएं हैं।

3.1.8 शिक्षक अध्येतावृत्ति की अवधि के दौरान मूल संस्थान से पूरा वेतन प्राप्त करता रहेगा (सामान्य वेतन वृद्धि तथा वरीयता क्रम में उसी स्थान पर बरकरार रहते हुए)।

3.2 अध्येतावृत्तियों की संख्या तथा आरक्षण

3.2.1 किसी भी समय में किसी भी संस्थान से केवल 20 प्रतिशत स्थायी (एक सरकारी कालेज के लिए नियमित) शिक्षक ही अध्येतावृत्ति प्राप्त करने के पात्र हैं। 20 प्रतिशत की सीमा को पार ना करने का उत्तरदायित्व संस्थान के पास है तथा जब भी संस्थान से कोई आवेदन अग्रेषित किया जाता है तो एक प्रमाणपत्र दिया जाना चाहिए जिसमें यह बताया गया हो कि यह 20 प्रतिशत सीमा के भीतर है।

3.2.2 कालेज के लिए कुल आवंटित अध्येतावृत्तियों में से अ0जा0,अ0ज0जा0 तथा अ0पि0व0 (असम्पन्न वर्ग) के उम्मीदवारों के लिए क्रमशः 15 प्रतिशत, 7.5 प्रतिशत और 27 प्रतिशत अध्येतावृत्तियां आवंटित की जाएगी।

3.3 शिक्षक अध्येतावृत्ति की अवधि तथा समय विस्तार का उपबंध

3.3.1 पी0एच0डी0 कार्यक्रमों के लिए शिक्षक अध्येतावृत्ति की अवधि दो वर्ष होगी। पर्यवेक्षक/गाईड द्वारा समर्थन, सिफारिश तथा मूल संस्थान से अनापत्ति प्रमाण पत्र के आधार पर पी0एच0डी0 अभ्यर्थियों को एक वर्ष का समय विस्तार दिया जा सकता है। एम0फिल0 कार्यक्रम के लिए शिक्षक अध्येतावृत्ति एक वर्ष के लिए होगी जिसे आवश्यकता पड़ने पर औचित्य सिद्ध होने पर और छह माह के लिए बढ़ाया जा सकेगा।

3. योजना के तहत आवेदन करने की प्रक्रिया

संस्थान को नीचे दी गई संरचना के आधार पर एक चयन समिति बनानी चाहिए। पैनल बनाते समय यह ध्यान रखा जाना चाहिए कि विभिन्न विषयों से शिक्षकों का चयन किया जाए। चयन समिति, आवेदकों द्वारा विहित प्ररूप **(अनुलग्नक–I)** में दिए गए आवेदनों की संवीक्षा करेगी तथा यह सुनिश्चित करेगी कि आवेदक शिक्षक अध्येतावृत्ति प्रदान किए जाने के लिए निर्धारित सभी शर्तों को पूरा करते हैं। इस बावत चयन समिति की कार्यवाहियों के साथ–साथ एक प्रमाणपत्र भी दिया जाना होगा जिस पर सभी सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर किए जायेंगे। 'संकाय विकास कार्यक्रम' के तहत शिक्षक अध्येतावृत्ति प्रदान किए जाने के लिए शिक्षक के आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा जब तक कि इसे चयन समिति द्वारा संस्तुत न किया गया हो जिसमें सदस्य होंगे:

चयन समिति की संरचना

1. विश्वविद्यालय के मामले में कालेज का प्राचार्य/कुलपति का नामिति।
2. यदि अभ्यर्थी विभागाध्यक्ष है तो विभागाध्यक्ष/विश्वविद्यालय का वरिष्ठ शिक्षक/कुलपति/प्राचार्य द्वारा नामनिर्दिष्ट एक कालेज। विश्वविद्यालय के मामले में

संबद्ध विश्वविद्यालय का नामिति अधिमानतः कालेज विकास परिषद् का निदेशक/संबंधित निकाय का डीन

4. संबंधित संस्थान के अलावा शिक्षक विभाग/कालेज से एक विषय विशेषज्ञ

5. अ0जा0/अ0ज0जा0/अ0पि0व0 (असम्पन्न वर्ग को छोड़कर) अभ्यर्थियों के लिए, एक अ0जा0/अ0ज0जा0/अ0पि0व0 नामिति हो सकता है।

5. यूजीसी द्वारा अनुमोदन की प्रक्रिया

शिक्षक अध्येतावृत्ति

चयन समिति की सिफारिशों की प्राप्ति पर, आयोग अध्येतावृत्ति प्रदान किए जाने तथा उसकी अवधि के संबंध में निर्णय लेगा। इस संबंध में सभी पत्र व्यवहार संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय/ब्यूरो के प्रभारी के नाम पर भेजा जाएगा।

6. योजना के तहत उपलब्ध सहायता का स्वरूप

6.1 आकस्मिता अनुदान

शिक्षक फेलो, वास्तविक आकस्मिता व्यय का पात्र होगा, यह अधिकतम 15000/– प्रतिवर्ष होगा। विहित प्ररूप (**अनुलग्नक–IV और V**) आकस्मिता अनुदान तथा लेखापरीक्षित उपयोगिता प्रमाणपत्र को यूजीसी क्षेत्रीय कार्यालय में प्रस्तुत किया जा सकता है जिसके क्षेत्राधिकार में मूल संस्थान स्थित है। दस्तावेजों को, जहां कहीं भी आवश्यक, हो विभागाध्यक्ष के गाईड/पर्यवेक्षक द्वारा विधिवत रूप से प्रतिहस्ताक्षरित किया जाना चाहिए जहां शिक्षक फेलों अनुसंधान कार्य कर रहा हो।

1. अनुदान को उपभोज्य वस्तुओं, रसायन, उपस्कर, पुस्तकें, तथा जर्नलों की खरीद तथा छाया प्रतियों तथा माइक्रोफिल्म, टंकण, लेखन सामग्री डाक की अधिप्राप्ति तथा अनुसंधान गाईड के अनुमोदन से अनुमोदित अनुसंधान कार्यक्रम के संबंध में क्षेत्र कार्य तथा यात्रा करने के लिए उपयोग किया जा सकता है।

2. आकस्मिता अनुदान, कालेज/विश्वविद्यालय/संस्थान द्वारा सामान्यतः प्रदान किए जाने वाले फर्नीचर, बर्तनों पर होने वाले व्यय के लिए तथा परीक्षा या अन्य शुल्क जैसे दाखिला/पंजीकरण/शिक्षण शुल्क आदि के भुगतान के लिए नहीं है।

3. अनुमोदित क्षेत्र कार्य के लिए यात्रा भत्ता तथा शिक्षक फेलों द्वारा आरंभ किए गए अनुसंधान कार्य के संबंध में संगोष्ठियों, सम्मेलनों, विचार–गोष्ठियों में भाग लेने के लिए यात्रा, विश्वविद्यालय/कालेज जहां शिक्षक नियोजित है, उसके लागू नियमों के अनुसार ग्राह्य होगा। इस संबंध में व्यय आकस्मिता अनुदान के नामे होगी। इस प्रयोजन के लिए कोई अतिरिक्त अनुदान उपलब्ध नहीं कराया जाएगा।

6.2 अवकाश संबंधी नियम

अवकाश पर जाने वाले शिक्षक फेलो जिसका कोई शिक्षण संबंधी उत्तरदायित्व नहीं है, उसे छुट्टियों की अवधि अर्थात् ग्रीष्म, शरद या पूजा के समय होने वाली छुट्टियों के दौरान कार्य करना होगा जब पुस्तकालय तथा प्रयोगशालाएं खुली रहती हैं। शिक्षक फेलो से अवकाश के आवेदन पर संबंधित विश्वविद्यालय/कालेज/संस्थान द्वारा विचार किया जा सकता है तथा शिक्षक के मूल संस्थान में शिक्षकों पर लागू छुट्टी नियमों के अनुसार निर्णय लिया जा सकता है। एवजी शिक्षक, नियमों के अनुसार कालेज की छुट्टियों/अवकाश तथा आकस्मिक छुट्टी का हकदार होगा। एवजी महिला शिक्षक मातृत्व अवकाश ही हकदार होगी। अगर उसके स्थान पर किसी अन्य एवजी शिक्षक

की नियुक्ति की जाती है तो वह उस अवधि के लिए किसी वेतन की अधिकारी नहीं होगी। एवजी शिक्षक अर्जित अवकाश की हकदार नहीं होगी।

6.3 यात्रा भत्ता

शिक्षक फेलो, जो शिक्षण अवकाश पर है, वह अनुसंधान केन्द्र में कार्य आंरभ करने तथा अवार्ड की अवधि के पश्चात् मूल संस्थान में लौटने के लिए कालेज/विश्वविद्यालय नियमों के अनुसार पात्रता के आधार पर वास्तविक रेल या बस के किराये की प्रतिपूर्ति करने का हकदार होगा यदि विश्वविद्यालय/कालेज (मूल संस्थान) तथा अनुसंधान केन्द्र के बीच की उक्त दूरी 20 कि0मी0 से अधिक है। इस संबंध में किया जाने वाला व्यय आकस्मिता अनुदान से किया जाएगा।

6.4 एवजी शिक्षक का वेतन

कालेज यूजीसी की विहित प्रक्रिया के अनुसार लेक्चरार के विहित न्यूनतम वेतनमान (बिना किसी वेतन वृद्धि के) में एवजी शिक्षक की नई नियुक्ति की जाएगी। यदि एवजी शिक्षक की नियुक्ति लेक्चरार के न्यूनतम वेतनमान से अधिक के वेतन मान पर की जाती है तो, एवजी शिक्षक के वेतन की प्रतिपूर्ति के लिए अनुदान का भुगतान यूजीसी द्वारा न्यूनतम वेतनमान के अनुसार किया जाएगा तथा शेष राशि संबंधित संस्थान/कालेज द्वारा या संबंधित राज्य सरकार द्वारा वहन की जाएगी। इसके अलावा, एवजी शिक्षक वार्षिक वेतन वृद्धि का हकदार नहीं होगा। जहां पदों को स्थानांतरण या प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरा जाता है, उस स्थिति में एवजी शिक्षक के वेतन के दावे पर विचार नहीं किया जाएगा। एवजी शिक्षक की पूर्णकालिक आधार पर नियुक्ति की जानी चाहिए। निम्नलिखित सूचना की प्राप्ति पर यूजीसी द्वारा एवजी शिक्षक का वेतन, शिक्षक फेलो के कार्यभार संभालने की रिपोर्ट तथा एवजी शिक्षक के वेतन के दावे का अग्रिम में भुगतान किया जाएगाः

(i) एवजी शिक्षक का नाम

(ii) जन्म तिथि

(iii) अर्हता (यूजीसी दिशानिर्देशों का पालन किया जाए)

(iv) अनुभव

(v) कार्यभार संभालने की तिथि

(vi) अनुमोदित वेतनमान में प्रतिमाह भुगतान किए जाने वाले भत्तों सहित वेतन का ब्यौरा

(vii) वित्तीय वर्ष के दौरान भुगतान की जाने वाली राशि

(viii) प्राचार्य से एक प्रमाणपत्र की एवजी शिक्षक की नियुक्ति विश्वविद्यालय/राज्य सरकार द्वारा विहित प्रक्रिया के अनुसार की गई है।

(ix) सम्बद्ध विश्वविद्यालय/राज्य सरकार का एवजी शिक्षक की नियुक्ति के संबंध में एक विशिष्ट अनुमोदन पत्र

यदि आरंभ में एवजी शिक्षक की नियुक्ति करना संभव न हो, अथवा, एवजी शिक्षक की नियुक्ति में विलम्ब हो, तो 10,000/– प्रतिमाह की अधिकतम सीमा के अध्यधीन 250/– प्रति लेक्चर की दर से मानदेय के आधार पर लेक्चररों की व्यवस्था की जा सकती है। तथापि, एवजी शिक्षक की शीघ्र नियुक्ति के लिए सभी प्रयास किए जाने चाहिए।

7. यूजीसी द्वारा अनुदान जारी किए जाने की प्रक्रिया

7.1 आकस्मिता अनुदान

प्रथम वर्ष के लिए शिक्षक अध्येतावृत्ति हेतु आकस्मिता अनुदान का भुगतान शिक्षक फेलो के संस्थान द्वारा कार्यभार ग्रहण रिपोर्ट की प्राप्ति पर किया जाएगा।

द्वितीय वर्ष के आकस्मिता अनुदान का भुगतान अनुदान की प्रथम किश्त के लिए लेखापरीक्षित उपयोग प्रमाणपत्र की प्राप्ति पर तथा द्वितीय वर्ष के लिए व्यय के मद–वार विवरण तथा शोध–पत्र को प्रस्तुत करने की रिपोर्ट जमा करने पर किया जाएगा जिसे संस्थान के प्राचार्य द्वारा विधिवत् रूप से हस्ताक्षरित किया गया हो।

7.2 एवजी शिक्षक (नियुक्ति होने की स्थिति में) के वेतन के लिए अनुदान का कालेज को भुगतान किया जाएगा जहां शिक्षक फेलो शिक्षक अध्येतावृत्ति आरंभ करने से तुरंत पहले कार्य कर रहा था (मूल संस्थान)।

8. योजना की प्रगति की निगरानी के लिए प्रक्रिया

शिक्षक अध्येतावृत्ति

1. शिक्षक फेलो के पर्यवेक्षक/गाईड को अध्येतावृत्ति की आधी अवधि के बाद 'प्रगति रिपोर्ट' प्रस्तुत करनी होगी। पर्यवेक्षक/गाईड द्वारा नकारात्मक रिपोर्ट दिए जाने पर शिक्षक फेलो को दी गई अध्येतावृत्ति, यूजीसी द्वारा वापस ली जा जा सकती है।
2. यदि शिक्षक फेलो पी0एच0डी0/एम0फिल को पूरा करने में असफल रहता है तथा इसे बीच में छोड़ देता है तो शिक्षक अध्येतावृत्ति के दौरान वि0अ0आ0 द्वारा प्रदत्त संपूर्ण राशि को वापस करना होगा।
3. शिक्षक को शिक्षक अध्येतावृत्ति की अवधि की समाप्ति के छह माह के भीतर पी0एच0डी0/एम0फिल0 शोध पत्र को प्रस्तुत करने के दस्तावेज जमा करने होंगे। तथापि, जब तक कि शोध पत्र प्रस्तुत नहीं किया जाता है तथा इसकी सूचना यूजीसी को नहीं दी जाती है तब तक स्लाट भरा हुआ रहेगा।

4. शिक्षक को यह वचन देना होगा कि पी0एच0डी0/एम0फिल0 शोध पत्र जमा करने में असफल होने पर वह यूजीसी द्वारा प्रदत्त सम्पूर्ण अध्येतावृत्ति राशि को दण्डात्मक ब्याज सहित वापस करेगा।

9. अकादमिक सम्मेलनों में शिक्षकों की भागीदारी (पीटीएसी)

9.1 आयोग स्थायी शिक्षकों या नियमित आधार पर नियुक्त शिक्षकों को (सरकारी कालेजों के मामले में) को भारत में होने वाले अकादमिक सम्मेलनों/संगोष्ठियों/कार्यशालाओं (पीटीएसी) में भाग लेने के लिए सहायता करेगा।

एक स्थायी/नियमित शिक्षक जिसके पत्र को सम्मेलन/संगोष्ठि/कार्यशाला/विचार–गोष्ठि में प्रस्तुत करने के लिए स्वीकार कर लिया गया है, वह स्कीम के तहत सहायता प्राप्त कर सकता है।

9.2 यूजीसी के पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है। इस योजना के लिए कालेज का प्राचार्य, नोडल अधिकारी होगा।

9.3 भाग लेने वाले शिक्षक को उस संस्थान के नियमों के अनुसार यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता दिया जाएगा जहां शिक्षक नियोजित है तथा पंजीकरण शुल्क की प्रतिपूर्ति की जाएगी।

कालेज के लिए सहायता की अधिकतम सीमा, कालेज के मानदण्ड (पैरा 3.21) के अनुसार कालेज में शिक्षकों की संख्या पर निर्भर करेगी।

9.4 संगोष्ठियां/सम्मेलन/कार्यशाला/विचार–गोष्ठि में भाग लेने के लिए व्यय की प्रतिपूर्ति का दावा करने के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों को उपलब्ध कराया जा सकता है:–

1. पत्र प्रस्तुत करने के संबंध में आयोजकों द्वारा प्रमाणपत्र।
2. प्राचार्य द्वारा प्रमाणपत्र कि संबंधित शिक्षक संस्थान का स्थायी/नियमित शिक्षक है।
3. भुगतान किए गए पंजीकरण शुल्क की अनुप्रमाणित छायाप्रति।
4. प्राचार्य/कुल–सचिव द्वारा प्रमाणपत्र कि दावे का भुगतान विश्वविद्यालय/राज्य सरकार द्वारा विहित या0भ0/दै0भ0 के संबंध में नियमों के तहत हकदारी के अनुसार किया गया है।

10. युवा संकाय सदस्यों का विख्यात संस्थानों में अल्पकालीन दौरा

10.1 आयोग, 40 वर्ष आयु से कम (अ0जा0/अ0ज0जा0/अ0पि0व0(असम्पन्न वर्ग तथा महिला शिक्षकों के लिए 45 वर्ष को उनकी पसंद के विख्यात संस्थानों में अल्प समय व्यतीत करने (दो सप्ताह से अधिक तथा 2 माह से कम) के लिए सहायता देगा तथा उनके अनुसंधान एवं शिक्षण कौशल में सुधार किया जा सके तथा उसे अद्यतन बनाया जा सके।

10.2 सहायता का आवेदन करते समय प्राचार्य को मेजबान संस्थान की सहमति भी उपलब्ध कराई जानी चाहिए जो यूजीसी को आवेदन अग्रेषित करेगा।

10.3 शिक्षक योजना अवधि के दौरान अधिकतम दो बार अकादमिक संस्थान का दौरा करने के अवसर का लाभ उठा सकता है। संस्थान जहां शिक्षक नियोजित है, उस संस्थान के यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते संबंधी नियम लागू होंगे।

प्राचार्य द्वारा प्रमाणपत्र उपलब्ध कराया जाए, की दावे, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का भुगतान विश्वविद्यालय/राज्य सरकार द्वारा विहित यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते संबंधी नियमों की हकदारी के अनुसार किए गए हैं।

संपूर्ण योजना अवधि हेतु कालेज के लिए सहायता की अधिकतम सीमा निम्नवत होगी तथा कालेज द्वारा वार्षिक रूप से इसका दावा किया जाना चाहिएः

स्थायी/नियमित शिक्षकों की संख्या	संपूर्ण योजना के लिए अधिकतम सीमा
25 तक	2 लाख रूपए
50 तक	3 लाख रूपए
100 तथा इससे अधिक तक	5 लाख रूपए

अनुलग्नक–I – शिक्षक अध्येतावृत्ति के लिए आवेदन प्रपत्र

अनुलग्नक–II – उस संस्थान द्वारा दिया जाने वाला पत्र जहां शिक्षक नियोजित है।

अनुलग्नक–III – शिक्षक फेलो के अनुसंधान केन्द्र द्वारा दिया जाने वाला प्रमाण पत्र

अनुलग्नक–IV – शिक्षक फेलो की कार्यभार संभालने की रिपोर्ट

अनुलग्नक–V – आकस्मिता अनुदान के लेखाओं तथा उपयोग प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने का प्ररूप

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

अनुलग्नक–I

कालेज द्वारा प्रस्ताव की प्राप्ति की तिथि

'संकाय विकास कार्यक्रम' योजना के तहत शिक्षक अध्येतावृत्ति के लिए आवेदन फार्म

(फार्म को सावधानीपूर्वक भरा जाना चाहिए/अपूर्ण फार्म को अस्वीकार कर दिया जाएगा)

1. नाम (साफ अक्षरों में) श्री/श्रीमतीः.....
2. संस्थान का नाम तथा पता जहां शिक्षक नियोजित है.....
   दूरभाष सं. तथा एसटीडी कोड.....
   फैक्स.....ई0मेल0.....
3. जन्म तिथि.....
4. महिला/पुरूष.....
5. क्या आप अ0जा0/अ0ज0जा0/अ0पि0व0/अल्पसंख्यक समुदाय से संबंध रखते हैं या शारीरिक रूप से विकलांग हैं.....
6. स्थायी पता.....
   .....
7. क्या शिक्षक एम0फिल0 करना चाहता है या पी0एच0डी0 पूरी करना चाहता है....
8. सेवा संबंधी ब्यौराः

i) नियुक्ति की तिथि :.....

ii) स्थायी रूप से नियुक्ति की तिथिः.....

(सरकारी कालेजों के मामले में नियमित आधार पर नियुक्ति)

9. i) संस्थान का नाम जहां एम0फिल0 में दाखिला लिया जाना है/जहां पी0एच0डी0 उपाधि की प्राप्ति के लिए अनुसंधान कार्य किया जाना प्रस्तावित है.

.....

एसटीडी कोड सहित दूरभाष नं0.....फैक्स.....

ई.मेल.....

(ii) विभाग का नाम.....

दूरभाष नं0.....फैक्स.....

10 (क) एम0फिल0 का विषय/क्षेत्र/अथवा पी0एच0डी0 के लिए अनुसंधान कार्य.....

(ख) पहले ही पूरा किया गया पी0एच0डी0 अनुसंधान कार्य तथा शेष कार्य को समाप्त करने के लिए अपेक्षित समय.....

11. पर्यवेक्षक का नाम तथा पदनाम जिसके साथ अनुसंधान कार्य को आरंभ किए जाने का प्रस्ताव है।.....

12. एम0फिल0 में दाखिले की/पी0एच0डी0 के लिए पंजीकरण की तिथि.....

13. अनुसंधान कार्य के संबंध में संगत कोई अन्य सूचना जिससे पी0एच0डी0 डिग्री प्राप्त हो साथ ही प्रस्तुत किए गए/प्रकाशित अनुसंधान पत्रों का ब्यौरा:.....

.....हस्ताक्षर

साफ अक्षरों में नाम:.....

पदनाम:.....

स्थान:.....

दिनांक:.....

वचन पत्र

मैं एतद्द्वारा यह घोषित करता हूँ कि मैंने वि0अ0आ0 के 'संकाय विकास कार्यक्रम' के तहत शिक्षक अध्येतावृत्ति प्रदान किए जाने के संबंध में नियमों को पढ़ लिया है और यदि अध्येतावृत्ति प्रदान की जाती है तो मैं अध्येतावृत्ति की अवधि के दौरान अनुसंधान पर्यवेक्षक/गाईड के मार्गदर्शन में पूरे समय विषय पर कार्य करने करने की प्रतिज्ञा करता हूँ। शिक्षक अध्येतावृत्ति # की अवधि के दौरान एम0फिल0/पी0एच0डी0 शोध पत्र प्रस्तुत करने में असफल होने पर, मैं वि0अ0आ0 द्वारा मुझे प्रदत्त सम्पूर्ण राशि का प्रतिदाय करूँगा।

मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि मेरे ज्ञान और विश्वास के अनुसार इस प्रपत्र में दिया गया ब्यौरा ठीक है।

शिक्षक के हस्ताक्षर

(आवेदक)

स्थान:.....

दिनांक:.....

प्राचार्य के हस्ताक्षर

(मुहर)

कालेज /विश्वविद्यालय का नाम.....

पता.....

.....

विशेष परिस्थितियों में छह माह तक बढाया जा सकता है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

अनुलग्नक–II

जहां शिक्षक नियोजित है उस संस्थान द्वारा दिया जाने वाला शपथ पत्र

विश्वविद्यालय/कालेज शिक्षक के कुल पारिश्रमिक को उसके अकादमिक अवकाश की अवधि के दौरान बनाए रखने तथा जब कभी भी देय हो उसे आवश्यक वेतनवृद्धि प्रदान करने का वचन देता है। विश्वविद्यालय/कालेज शिक्षक की वरिष्ठता तथा अन्य लाभ को बनाए रखने का भी वचन देता है।

यह प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक विश्वविद्यालय/कालेज का नियमित आधार पर नियुक्त स्थायी शिक्षक है (सरकारी कालेज के मामले में)।

यह प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक किसी अन्य स्रोत से (कालेज से वेतन के अलावा) वित्तीय सहायता/अध्येतावृत्ति/छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं कर रहा है।

प्राचार्य के हस्ताक्षर

(मुहर)

विश्वविद्यालय/कालेज का नामः.....

पताः.....

.....

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

अनुलग्नक–III

संस्थान द्वारा दिया जाने वाला प्रमाणपत्र जहां शिक्षक एम0फिल0/पी0एच0डी0 के लिए पंजीकृत है।

यह प्रमाणित किया जाता है कि एम0फिल0/पी0एच0डी0 डिग्री प्राप्त करने के लिए अनुसंधान कार्य हेतु श्री.....(शिक्षक फेलो का नाम) को आवश्यक सुविधाएं प्रदान की जाएगी।

.....

पर्यवेक्षक/अनुसंधान गाईड के हस्ताक्षर

.....

विभागाध्यक्ष के हस्ताक्षर

.....

कुल–सचिव/प्राचार्य के हस्ताक्षर,

मुहर सहित

विश्वविद्यालय/कालेज का नामः.....

पताः.....

.....

.....

फोनः.....फैक्सः.....

ई–मेलः.....

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

अनुलग्नक–IV

कार्यग्रहण रिपोर्ट

संकाय विकास कार्यक्रम–शिक्षक अध्येतावृत्ति

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/सुश्री.....जोकि विश्वविद्यालय/कालेज में शिक्षक.....(पदनाम लिखे) के रूप में कार्य कर रहे/रही हैं, ने दिनांक.....(पूर्वाहन/अपराहन).....विभाग में कार्यग्रहण कर लिया है और वह.....के मार्गदर्शन में अपने अनुसंधान कार्य कर रहा है/रही हैं। उन्होंने.....को एम0फिल0 पाठ्यक्रम में दाखिल दिया गया/पी0एच0डी0 के लिए पंजीकरण किया।

संबंधित शिक्षक ने.....से विश्वविद्यालय/कालेज तक यात्रा करने के लिए.....श्रेणी रेल/बस किराए से.....रूपए का वास्तविक व्यय किया। श्रेणी जिसमें उन्होंने यात्रा की वह विश्वविद्यालय/कालेज/संस्थान के नियमों के अनुसार ग्राह्य है। मूल संस्थान तथा अनुसंधान केन्द्र के बीच की दूरी..... कि0मी0 है।

विश्वविद्यालय/कालेज/संस्थान को अपनी कार्यग्रहण की तिथि से एक वर्ष की अवधि तक.....रूपए के आकस्मिता व्यय को पूरा करने के लिए 15,000/– रूपए आकस्मिता अनुदान की आवश्यकता है।

.....

अनुसंधान गाईड के हस्ताक्षर

(मुहर)

.....

कुल–सचिव/प्राचार्य के हस्ताक्षर

(मूल संस्थान) (मुहर)

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

अनुलग्नक–V

आकस्मिता लेखा एवं उपयोग प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने का प्ररूप

1. शिक्षक फेलो का नाम:.....
2. विश्वविद्यालय कालेज जहां नियोजित हैं.....
3. यू0जी0सी0 पत्र तथा दिनांक जिसके तहत यह अवार्ड किया गया है।
4. अवधि जिससे आकस्मिता अनुदान का संबंध है।

प्रमाणित किया जाता है कि.....के संबंध में आयोग के दिनांक.....के पत्रांक सं.....एफ0.....द्वारा सस्वीकृत 15,000/–रूपए के आकस्मिक अनुदान में से किए गए.....रू0 (रूपए.....) के व्यय का उस प्रयोजन के लिए उपयोग किया गया है जिसके लिए इसे संस्वीकृत किया गया था तथा इसे यू0जी0सी0 द्वारा आकस्मिता अनुदान के उपयोग के लिए निर्धारित निबंधन व शर्तों के अनुसार उपयोग किया गया।

यदि जांच या लेखापरीक्षा आपत्तियों के परिणामस्वरूप बाद में कोई अनियमितताएं पाई जाती हैं तो आपत्तिगत राशि की वसूली/समायोजित करने के लिए कार्यवाही की जाएगी।

प्रत्येक मद पर व्यय

व्यय **राशि.....तिथि**

i)
ii)
iii)
iv)
v)

vi)

कुलः

.....

(शिक्षक फेलो के हस्ताक्षर)

.....

(अनुसंधान गाईड के हस्ताक्षर)

.....

(प्राचार्य के हस्ताक्षर)

(मूल संस्थान) (मुहर)

.....

(सनदी लेखाकार/सांविधिक

लेखापरीक्षक के हस्ताक्षर)

(मुहर)

उपयोग प्रमाण पत्र को उस संस्थान को भेजा जाना चाहिए जहां शिक्षक, शिक्षक फेलो के रूप में कार्यग्रहण करने से पहले कार्यरत था ताकि इसे आगे वि0अ0आ0 को भेजा जा सके। वि0अ0आ0 को भेजे जाने से पहले इस पर मूल संस्थान के कुल सचिव/प्राचार्य द्वारा हस्ताक्षर किया जाना चाहिए।

भारत में अकादमिक सम्मेलनों में शिक्षकों की भागीदारी

1. शिक्षक का नामः
2. सम्मेलन/संगोष्ठियों/कार्यशाला का नाम जिनमें भाग लिया.....
3. क्या पत्र प्रस्तुत किया गयाः हां/नहीं

अल्पकालीन दौरा

1. शिक्षक का नामः
2. क्या स्थायी/नियमित हैंः हां/नहीं
3. शिक्षक की आयुः